

**पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर विकासखण्ड काशीपुर की दभौरा मुस्तकम पेयजल योजना के विस्तृत आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06 सितम्बर, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त**

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 06 सितम्बर, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे:-

1. श्री नितेश कुमार झा, सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. डॉ० वी० षण्मुगम, सचिव (प्रभारी), नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री उदय राज सिंह, एम०डी०, जल निगम, उत्तराखण्ड।
4. श्री एस०के० शर्मा, सी०जी०एम०, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तराखण्ड।
5. श्री के०के० रस्तोगी, मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, उत्तराखण्ड।
6. श्री एस०सी० पन्त, सी०ई०(एच०क्यू०), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8. श्री डी०डी० डालाकोटी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
9. श्री संजय सिंह, एस०ई० उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी गढ़वाल।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :- पेयजल की आवश्यकता के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि वर्तमान में योजना से आच्छादित गांवों में कोई पाइप पेयजल योजना विद्यमान नहीं है, हैंड पम्प द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा रही है। गुणवत्ता युक्त एवं मानक के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना प्रस्तावित की गयी है।
2. **भूमि की उपलब्धता** :- विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना हेतु भूमि उपलब्ध है।
3. **योजना प्राविधान** :- योजना में मुख्य प्राविधान निम्न प्रकार है :-
  - नलकूप - 01 संख्या, डिस्चार्ज 1200 एल०पी०एम०।
  - पम्प हाउस/आपरेटर रूम (3.5 मी० x 3.00 मी० / 4.00 x 3 मी०)।
  - आर०सी०सी० ओवर हैड टैंक 550 कि०ली० क्षमता - 21 मीटर Stiling।
  - Submersible Electric Driven Pump 82 मी० हैड - 967 LPM डिस्चार्ज।
  - राईजिंग मेन DI-K9 पाइप पाइप - 25 मीटर लम्बाई।
  - **वितरण प्रणाली** :- विभिन्न साइज के (90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 250 एम०एम० dia) - 34964 मीटर।
  - पेयजल योजना में प्रत्येक Terminal में समुचित pressure सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्न प्रकार Flow Meter तथा वॉल लगाये जाने प्रस्तावित है :-

Valve Details for Rising Main & Distribution Network	Provided in Number
Bulk Flow Meter ( 1 in Distribution)	1
Sluice Valve (1 in RM + 25 in Distribution)	26
Air Release Valve (3 in Distribution)	3
Scour Valve (2 in Distribution Network)	2
Non Return Valve (1 in Distribution)	1

*Grant*

4. व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमत :-

- 4.1 योजना के सम्बन्ध में विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13.07.2021 को सम्पन्न हुई।
- 4.2 योजना में 02 गांव दभौरा एवं दभौरा एथमाली सम्मिलित है जिनमें कुल 1800 हाउस होल्ड है जिन्हें FHTC प्रदान किये जाने है।
- 4.3 योजना में भूमि ग्राम पंचायत द्वारा नि'शुल्क दिया जाना अवगत कराया गया है।
- 4.4 प्रस्तावित पेयजल योजना ग्राम सभा में ग्राम योजना, जिला जल एवं स्वच्छता समिति तथा एस0एल0एस0सी0 की बैठक से अनुमोदित है।
- 4.5 योजना के सम्बन्ध में जल स्रोत के Source Finding Report योजना में सम्मिलित की गयी है।
- 4.6 योजना नलकूप से पेयजल योजना के रूप में प्रस्तावित की गयी है जिसका जल स्रोत एक नलकूप है इसका न्यूनतम जल श्राव 1200 एल0पी0एम0 अवगत कराया गया है।
- 4.7 पेयजल आपूर्ति का मानक शत-प्रतिशत जनसंख्या के लिए 55 एल0पी0सी0डी0 + 15 प्रतिशत अतिरिक्त मांग सम्मिलित करते हुए लिया गया है। स्कूल, आंगनवाडी, गुरुद्वारा, मन्दिर, मजिस्द, बैंक शाखा, वृद्धाश्रम अस्पताल, बारात घर एवं पंचायत भवन के लिए 45 एल0पी0सी0डी0 पेयजल की गणना की गयी है।
- 4.8 पेयजल योजना में गुरुत्व आधारित सोर्स उपलब्ध न होने के कारण योजना पम्प आधारित चयन किया गया है।
- 4.9 योजना की डिजाइन अवधि 30 वर्ष ली गयी है। आधार वर्ष 2022 तथा डिजाइन वर्ष 2052 रखा गया है।
- 4.10 योजना में आधार वर्ष 2022 में 12876 एवं डिजाइन वर्ष 2052 में 16995 जनसंख्या की गणना के आधार पर पेयजल की मांग आधार वर्ष में 786 के0एल0डी0 एवं डिजाइन वर्ष में 1038 के0एल0डी0 आंकलित की गयी है।
- 4.11 योजना की प्रति FHTC लागत आधार वर्ष में रू0 46,346 एवं डिजाइन वर्ष में 35,110 आंकलित की गयी है तथा प्रति व्यक्ति पेयजल की लागत आधार वर्ष 2022 में रू0 5,599 प्रति व्यक्ति एवं डिजाइन वर्ष में रू0 4,380 प्रति व्यक्ति आंकलित की गयी है।
- 4.12 योजना से वास्तविक आय आधार वर्ष 2022 में रू0 17,55,644 एवं डिजाइन वर्ष में रू0 1,31,08,760 आंकलित की गयी है।
- 4.13 योजना की लागत का विवरण निम्नानुसार है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	Items	Amount		Community Contribution	Cost of Convergence	JJM Cost (3+4)-5
		S.I.	N.S.I			
1	2	3	4	5		6
1	Cost of water supply Project	540.89	182.87	26.16	43.71	697.60

JJM Cost - Rs 697.60 lakh

Community Contribution - Rs 26.16 lakh

Cost of Convergence - Rs 43.71 lakh

परियोजना की कुल लागत :- रू0 767.47 लाख




4.14 राज्य योजना आयोग में आगणन के परीक्षण में रू0 110.47 लाख की कटौती की गयी हैं। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यों की लागत रू0 697.60 लाख एवं Community Contribution मद में लागत रू0 26.16 लाख एवं Convergence कार्यों के लिए रू0 43.71 लाख है।

5. व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :-

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, मुख्य सचिव महोदय/अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यों को निर्धारित समय अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

उपरोक्त के आलोक में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव लागत सार-4.13 (Summary of Cost) में अंकित लागत के सारांश में उल्लिखित मदवार विवरण राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि रू0 767.47 लाख को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :-


- 5.1 समिति को अवगत कराया गया है कि आगणन का गठन Consultants द्वारा किया गया है अतः निर्माण से पूर्व क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्य स्थल के निरीक्षण के उपरान्त पेयजल योजना के Most Economic / Technically feasible विकल्प का चयन कर यह प्रमाण पत्र देंगे कि इससे अधिक मितव्ययी विकल्प उपलब्ध नहीं है, तदनुसार नियोजन विभाग को भी अवगत करायेगें।
- 5.2 जनसंख्या की गणना के सम्बन्ध में तहसील से पिछले दो दशक के आकड़ों के आधार पर जनसंख्या की गणना करने के उपरान्त ही परियोजना का क्रियान्वयन किया जाये।
- 5.3 विभाग/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेगे कि डिजाइन वर्ष की मांग के अनुरूप न्यूनतम जल की मात्रा जल स्रोत में योजना की डिजाइन अवधि तक अवश्य उपलब्ध रहें।
- 5.4 योजना कार्यों पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- 5.5 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, ईट, cement, Steel, Pipe एवं अन्य निर्माण सामग्री का I.S.Code के मानको के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाय।
- 5.6 आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु डी0एस0आर0 /एस0ओ0आर0 एवं नॉन शिड्यूल मदों हेतु बाजार की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित है। विशिष्टियों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें हैं।



- 5.7 योजना में प्राविधानित Plant and Equipment की आपूर्ति हेतु Cost effectiveness तथा Energy efficient system के अनुरूप कार्यवाही का विशेष ध्यान दिया जाय।
- 5.8 आगणन में प्राविधानित नॉन शिडयूल मदों के क्रियान्वयन में अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्राविधानों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 5.9 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।
- 5.10 कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियन्त्रण का कार्य अवश्यमेव करा लिया जाय।  
व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1-5.10 तक निहित शर्तों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।





( मनीषा पंवार )  
अपर मुख्य सचिव


उत्तराखण्ड शासन,  
राज्य योजना आयोग  
(नियोजन विभाग)

संख्या 1155/740/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/ पेयजल/2021-22

देहरादून: दिनांक: २९, सितम्बर, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

  
(डॉ० वी० षण्मुगम)  
सचिव (प्रभारी)